संख्या-44/2019/1789/22-2-2019-17(741)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 01 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री सियाराम निषाद, निवासी जनपद-अयोध्या की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10294/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-10.04.2019) दिनांक-10.04.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री सियाराम निषाद, जो ग्राम-महान मऊ, थाना-तारून, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बंदी ने दहेज को लेकर विवाद बढ़ने पर दिनांक 25/26.09.2004 को सहअभियुक्त के साथ मिलकर फांसी लगाकर श्रीमती पूनम उर्फ मिर्चई पर वार किया जिससे घटना स्थल पर पूनम उर्फ मिर्चई की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/2005 भा0द0सं0 की धारा-498ए एवं 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय सं0-4), फैजाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2016 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अपराध करने में अशसक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी सीताराम पुत्र श्री सियाराम निषाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने दहेज को लेकर विवाद बढ़ने पर दिनांक 25/26.09.2004 को सहअभियुक्त के साथ मिलकर फांसी लगाकर श्रीमती पूनम उर्फ मिर्चई पर वार किया जिससे घटना स्थल पर पूनम उर्फ मिर्चई की मृत्यु करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और निरूद्ध रखने का प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री सियाराम निषाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- प्रकरण में एस0एल0पी0 (क्रि0) डायरी संख्या-26013/2018 सीताराम बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सीताराम (बन्दी संख्या-477/2007) पुत्र श्री सियाराम निषाद, निवासी जनपद-अयोध्या के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/2019/1789(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-44/2019/1789/22-2-2019-17(741)/2019

दिनांक 01 मई, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री सियाराम निषाद, जो ग्राम-महान मऊ, थाना-तारून, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बंदी ने दहेज को लेकर विवाद बढ़ने पर दिनांक 25/26.09.2004 को सहअभियुक्त के साथ मिलकर फांसी लगाकर श्रीमती पूनम उर्फ मिर्चई पर वार कियाजिससे घटना स्थल पर पूनम उर्फ मिर्चई की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-60/2005 भा0द0सं0 की धारा-498ए एवं 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय सं0-4), फैजाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2016 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अपराध करने में अशसक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी सीताराम पुत्र श्री सियाराम निषाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने दहेज को लेकर विवाद बढ़ने पर दिनांक 25/26.09.2004 को सहअभियुक्त के साथ मिलकर फांसी लगाकर श्रीमती पूनम उर्फ मिर्चई पर वार कियाजिससे घटना स्थल पर पूनम उर्फ मिर्चई की मृत्यु करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध अशक्त न होने, जेल में और निरूद्ध रखने का प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सीताराम पुत्र श्री सियाराम निषाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in